

अध्याय-IV

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराएं

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचना सहित एक मजबूत आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली राज्य सरकार को दक्ष एवं प्रभावी शासकीय व्यवस्था प्रदान करती है। अतः वित्तीय नियमों, पद्धतियों एवं निर्देशों के अनुसार अनुपालन साथ ही साथ उन अनुपालनों के रिपोर्टिंग की समयबद्धता एवं गुणवत्ता अच्छे शासन के गुणों में से एक है। अनुपालनों एवं नियंत्रणों पर प्रतिवेदन, यदि यह प्रभावी एवं प्रचालन योग्य है, सरकार के सामरिक नियोजन एवं निर्णय निर्माण सहित मूलभूत प्रबन्धकीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय सम्पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के सम्बन्ध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों सहित वित्तीय रिपोर्टिंग परम्पराओं में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता एवं अनुपालन पर एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

लेखों की सम्पूर्णता सम्बन्धित प्रकरण

4.1 राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकरणों के माध्यम से प्राप्त अतिरिक्त-बजट ऋण को संचित निधि में जमा नहीं किया जाना

राज्य सरकार ने राज्य के ऋण मापदण्डों पर प्रभाव डालने वाले व्ययों की पूर्ति हेतु राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकरणों के माध्यम से संचित निधि में जमा नहीं किए जा रहे अतिरिक्त-बजट ऋण का सहारा लिया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 में उल्लिखित है कि राज्य सरकार अपने राजकोषीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिभूतियों के कारण उत्पन्न हुई आकस्मिक देनदारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और स्पेशल पर्पज वेहिकल द्वारा लिये गये ऋण से उत्पन्न वास्तविक देनदारियों तथा अन्य समकक्ष साधनों, जहाँ पुनर्भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के आवंटन पर है, का राजकोषीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को लोक हित में प्रदर्शित करने का उपयुक्त उपाय करेगी। अग्रेतर, उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन नियम, 2006 में प्रावधान किया गया है कि बजट अभिलेखों के साथ विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने वाले 'मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) विवरण' में राज्य सरकार के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे एवं कुल बकाया ऋण¹⁸

¹⁸ राज्य का कुल बकाया ऋण, राज्य के ऋणस्टॉक की स्थिति या कुल ऋणग्रस्तता जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार ऋण एवं अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि आदि, आरक्षित निधियां एवं जमा और अग्रिम शामिल हैं, को इंगित करता है।

के सम्बन्ध में पाँच साल का आवर्ती लक्ष्य भी सम्मिलित होंगे। एमटीएफआरपी 2023 के अन्तर्गत वर्ष 2023-24 के लिए ऋण स्टाक का लक्ष्य सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.1 प्रतिशत रखा गया।

राज्य सरकार ने बजट अभिलेखों में अतिरिक्त बजट ऋण का ब्योरा नहीं दिया। यद्यपि, राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए विवरण (फरवरी 2025) के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार का बकाया अतिरिक्त बजट ऋण ₹ 38,464.14 करोड़ था, जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 910.00 करोड़ का ऋण शामिल था, जैसा कि तालिका 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.1: वर्ष 2023-24 के दौरान अतिरिक्त बजट ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)

राज्य सरकार के नियंत्रण में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य इकाई का नाम	01.04. 2023 को प्रारम्भिक अवशेष	2023-24 के दौरान जुटाए गए फंड/ऋण	2023-24 के दौरान चुकाया गया मूलधन ऋण	अंतिम अवशेष {(2+3)-4}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)				
आरईसी/पीएफसी से ऋण	16875.16	0.00	2494.22	14380.94
यूपीपीसीएल द्वारा जारी बांड	7439.20	0.00	0.00	7439.20
कुल (यूपीपीसीएल)	24314.36	0.00	2494.22	21820.14
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीईआईडीए)				
गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भूमि क्रय हेतु हुडको ऋण	2298.26	0.00	183.88	2114.38
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण	7119.31	0.00	787.87	6331.44
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण	6640.00	0.00	408.21	6231.79
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण	1243.90	910.00	187.51	1966.39
कुल (यूपीईआईडीए)	17301.47	910.00	1567.47	16644.00
कुल योग	41615.83	910.00	4061.69	38464.14

स्रोत: राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

वित्त लेखा 2023-24 के अनुसार, दिनांक 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार के पास ₹ 7,67,872.25 करोड़ का ऋण और अन्य देनदारियाँ थीं, जिसमें 2020-21 (₹ 6,007 करोड़) और 2021-22 (₹ 8,139.94 करोड़) के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के एवज में एक के बाद एक लिए गये ऋण शामिल थे, जिसकी राज्य को कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 तक राज्य का ऋण और अन्य देनदारियाँ जीएसडीपी का 29.58 प्रतिशत थीं। हालाँकि, बकाया अतिरिक्त बजट ऋण (₹ 38,464.14 करोड़) को शामिल करने के बाद, 31 मार्च 2024 तक राज्य का ऋण और अन्य देनदारियाँ जीएसडीपी का 31.09 प्रतिशत थी, जो एमटीएफआरपी, 2023 अनुमान (32.10 प्रतिशत) से कम थी।

4.2 परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में अनुमोचित देनदारियां

राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के लिए नामित निधि प्रबन्धक को अग्रेतर निवेश हेतु अंशदान अन्तरित न कर अपनी देनदारियों का उन्मोचन नहीं किया।

1 अप्रैल 2005 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (डीसीपीएस) के अन्तर्गत आच्छादित हैं। सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्त निकायों के नवनियुक्त भी इसी योजना से आच्छादित हैं। योजना की शर्तों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी मूल वेतन और मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करते हैं जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत का योगदान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, प्रारम्भ में दोनों योगदान सरकारी कर्मचारियों के लिये सम्बन्धित लेखा शीर्ष 8342-अन्य जमा-117 डीसीपीएस तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और स्वायत्त निकायों के लिये लेखा शीर्ष 8342-120-विविध जमा के अन्तर्गत लोक लेखे में जमा किये जाते हैं। इसके बाद, डीसीपीएस में योगदान की गई सम्पूर्ण धनराशि (सरकार का योगदान और कर्मचारियों का योगदान) को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित किया जाना वांछनीय है। अग्रेतर, मुख्य शीर्ष 8342 ब्याज सहित जमा की श्रेणी में आता है, इसका तात्पर्य यह है कि सरकार द्वारा अहस्तांतरित शेष पर ब्याज का भुगतान करना वांछनीय है।

वर्ष 2023-24 की अवधि में, राज्य सरकार ने लेखा शीर्ष 2071-01-117-डीसीपीएस के लिए सरकार के योगदान के अन्तर्गत ₹ 8,725.78 करोड़ का व्यय पुस्तांकित किया। इसमें सरकार के योगदान के रूप में ₹ 7,998.00 करोड़ (सरकारी कर्मचारियों के लिए ₹ 4,569.44 करोड़, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए ₹ 3,425.50 करोड़ एवं सहायता प्राप्त स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए ₹ 3.06 करोड़) तथा ग्रेच्युटी, पारिवारिक पेंशन एवं योजना से आच्छादित कर्मचारियों की विलम्बित जमाओं पर ब्याज के भुगतान हेतु ₹ 727.78 करोड़ शामिल हैं। अग्रेतर, सरकार के योगदान की धनराशि ₹ 8,006.43 करोड़, लोक लेखे में मुख्य शीर्ष 8342 के अन्तर्गत डीसीपीएस हेतु नामित शीर्ष में हस्तान्तरित की गयी। राजस्व व्यय के रूप में पुस्तांकित धनराशि (₹ 7,998.00 करोड़) एवं डीसीपीएस हेतु नामित शीर्ष में वास्तविक हस्तान्तरित धनराशि (₹ 8,006.43 करोड़) के मध्य अन्तर राज्य सरकार एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य समाधान के अधीन है।

वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के लिए 8342-117-डीसीपीएस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 748.85 करोड़ की राशि अंतिम अवशेष थी। जिसको एनएसडीएल/न्यासी बैंक में हस्तांतरित नहीं किया गया था। वर्ष के प्रारम्भ में सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में डीसीपीएस का प्रारम्भिक अवशेष ₹ 481.05 करोड़ था इस पर सरकार को सामान्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर के अनुसार गणना किये गये ब्याज की धनराशि ₹ 34.15 करोड़ को जमा करना

वांछनीय था। तथापि, सरकार द्वारा ₹ 0.86 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया गया। ब्याज के कम क्रेडिट का प्रभाव राज्य के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर भी पड़ा, जो वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 33.29 करोड़ क्रमशः अधिक और कम बताया गया था।

नामित निधि प्रबन्धक को डीसीपीएस के अंशदान के कम हस्तांतरण को पूर्व में भी, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 एवं 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में, संज्ञान में लाया गया था। इस प्रकार राज्य सरकार ने डीसीपीएस हेतु देयता का उन्मोचन नहीं किया और वर्तमान देयता भविष्य के वर्षों हेतु स्थगित कर दी गयी। परिणामस्वरूप, अप्रेषित निधि में कोई मूल्य वृद्धि भी नहीं हुई क्योंकि यह अभिदाताओं के निवेश के कोष का अंश न बन सकी।

4.3 उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) की स्थापना नहीं की जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 181.64 करोड़ की धनराशि यूपीआरटीएआरएफ में जमा नहीं की गयी।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (यूपीएमवीटी) अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित 2009) की धारा 8 (1) के प्रावधानों के अनुसार, किसी सार्वजनिक सेवा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर पीड़ित यात्रियों, उनके उत्तराधिकारियों या सेवा वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से प्रभावित अन्य व्यक्तियों को सहायता देने के प्रयोजनार्थ, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि (यूपीआरटीएआरएफ) स्थापित करेगी। धारा 4 के अधीन उद्ग्रहीत कर के दो प्रतिशत और धारा 6 के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त कर के दो प्रतिशत के बराबर धनराशि निधि में जमा की जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना न करके यूपीएमवीटी अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान के उद्देश्य को नकार दिए जाने के प्रकरण का उल्लेख, 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उत्तर प्रदेश सरकार-वर्ष 2016 के प्रतिवेदन सं0 04 का प्रस्तर सं0 1.9.3.2) में किया गया था। प्रकरण को 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 एवं 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.4 में तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.3 में दोहराया गया। यह पाया गया कि राज्य सरकार ने यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना अभी तक नहीं की थी जिसके कारण 2015-16 से 2022-23 के दौरान निधि में ₹ 915.46 करोड़ की धनराशि जमा नहीं की गई।

2023-24 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग ने यूपीएमवीटी अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत ₹ 9082.08 करोड़ का कर और अतिरिक्त कर वसूल किया। इस प्रकार, ₹ 181.64 करोड़ यूपीआरटीएआरएफ में जमा किए जाने थे, जैसा कि तालिका 4.2 में विवरण दिया गया है।

तालिका 4.2: 2023-24 की अवधि के दौरान यूपीआरटीएआरएफ में जमा किए जाने योग्य कर का विवरण

(₹ करोड़ में)

धारा 4 के अधीन वसूल किया गया कर		धारा 6 के अधीन वसूल किया गया अतिरिक्त कर	धारा 4 और धारा 6 के अधीन वसूल किया गया कुल कर	यूपीआरटीएआरएफ में हस्तांतरित किये जाने हेतु 2 प्रतिशत
लेखा शीर्ष	योग	लेखा शीर्ष		
0041-102-01	0041-102-03	0041-102-01		
1	2	3 = स्तम्भ 1+ स्तम्भ 2	4	5= स्तम्भ 3+ स्तम्भ 4
8317.28	420.72	8738.00	344.08	9082.08
				6= स्तम्भ 5 का 2 प्रतिशत
				181.64

स्रोत: कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना

इस प्रकार, 2023-24 के दौरान यूपीआरटीएआरएफ में ₹ 181.64 करोड़ की धनराशि जमा नहीं की जा सकी, क्योंकि निधि की स्थापना नहीं की गयी थी।

इसका प्रभाव वर्ष 2023-24 के राज्य के राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटे पर भी पड़ा, जो कि ₹ 181.64 करोड़ क्रमशः अधिक और कम बताया गया था।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने बताया (जुलाई 2024) कि यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना शासन स्तर पर प्रक्रियाधीन है। आगे यह भी सूचित (अगस्त 2024) किया गया कि 2023-24 की अवधि के दौरान, परिवहन विभाग के अनुदान संख्या 43 में मुख्य शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के अन्तर्गत दुर्घटना से पीड़ित 228 पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में ₹ 28.20 लाख की धनराशि प्रदान की गयी।

तथापि, सरकार को यूपीएमवीटी अधिनियम, 1997 के तहत पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्य के लोक लेखे में यूपीआरटीएआरएफ की स्थापना करके अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता है।

4.4 हरित कर के लेखाकरण के लिए उप-शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का न बनाया जाना

राज्य सरकार द्वारा एकत्रित हरित कर के लेखाकरण के लिए विशिष्ट उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष का सृजन/संचालन न किए जाने के परिणामस्वरूप हरित कर के रूप में ₹ 43.10 करोड़ की प्राप्ति सरकारी लेखे में स्पष्ट रूप से नहीं दर्शायी जा सकी।

उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 में प्रावधान है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत पंजीकरण की वैधता की समाप्ति के पश्चात् परिवहन वाहन के अतिरिक्त किसी भी मोटर वाहन का उपयोग किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर हरित कर का भुगतान न कर दिया जाये। हरित कर का उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदूषण को नियन्त्रित करना था और इस प्रकार एकत्रित राजस्व का उपयोग पर्यावरण की सुरक्षा हेतु किया जाना था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया (जनवरी 2015) कि मोटर वाहन के पंजीकरण के नवीनीकरण

के समय, हरित कर पंजीकरण के समय भुगतान किए गए एकमुश्त कर के 10 प्रतिशत की दर से देय होगा।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गयी सूचना (जुलाई 2024) से पता चला कि परिवहन विभाग ने वर्ष 2023-24 में 1.47 लाख वाहनों से ₹ 10.92 करोड़ हरित कर संग्रहित किया। 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2022-23 की अवधि के दौरान 7.66 लाख वाहनों से ₹ 32.18 करोड़ की धनराशि हरित कर के रूप में संग्रहित की गयी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि हरित कर के लेखाकरण के लिए कोई पृथक उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष नहीं बनाया गया था। अतः इसे राज्य सरकार द्वारा आरोपित किये गए अन्य करों के साथ मुख्य शीर्ष 0041-वाहन कर में जमा किया गया था। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार के लेखों से संग्रहित हरित कर की राशि सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। अग्रेतर, परिवहन आयुक्त कार्यालय पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित कर के वास्तविक उपयोग की स्थिति प्रदान नहीं कर सका।

प्रकरण को 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 एवं 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी उल्लिखित किया गया था।

4.5 राज्य में कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का अन्तरण

वित्त लेखे के खण्ड II का परिशिष्ट VI राज्य में कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों का सीधे हस्तान्तरित किए जाने को प्रदर्शित करता है, अर्थात् राज्य के बजट से बाहर प्राप्त निधियाँ, जिसे भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल से संकलित किया गया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य के कार्यदायी संस्थाओं को ₹ 880.92 करोड़ की निधि (राज्य सरकार के डीडीओ: ₹ 0.04 करोड़, राज्य सरकार के पीएसयू: ₹ 0.29 करोड़, राज्य सरकार के संस्थान: ₹ 877.94 करोड़, स्थानीय निकाय: ₹ 1.75 करोड़ और शैक्षणिक संस्थान (सरकारी): शून्य और सांविधिक निकाय: ₹ 0.90 करोड़) सीधे हस्तान्तरित की। अग्रेतर, राज्य सरकार की कार्यदायी संस्थाओं को केन्द्रीय योजनाओं की निधियों को सीधे हस्तांतरण किए जाने में वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में 17.11 प्रतिशत की कमी हुई (वर्ष 2022-23 में ₹ 1,062.78 करोड़ से वर्ष 2023-24 में ₹ 880.92 करोड़)।

पारदर्शिता से सम्बन्धित प्रकरण

4.6 उपभोग प्रमाणपत्रों के प्रेषण में विलम्ब

वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-V भाग-I, प्रस्तर 369-एच में प्रावधान है कि जहाँ अनुदान विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किए गये हैं, सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को अनुदान प्राप्तकर्ता से उपभोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्राप्त करना चाहिए, जिसे सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अग्रेतर, उन अनुदानों के सम्बन्ध में, जिनका स्वीकृति के दिनांक से अगले 12 महीनों की अवधि में उपभोग किए जाने की संभावना है, सक्षम प्राधिकारी को

अनुदान की स्वीकृति के दिनांक से 18 माह से अनधिक समय में अपेक्षित प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रेषित करना चाहिए।

जिस उद्देश्य के लिए सहायता अनुदान का उपयोग किया गया था, उसकी पुष्टि केवल यूसी प्राप्त होने पर ही की जा सकती है जो अन्य उद्देश्यों के लिए निधियों के अपयोजन से बचाव करेगी। इस प्रकार, लेखे में दर्शाए गए व्यय को यूसी के अप्राप्त रहने की सीमा तक अन्तिम नहीं माना जा सकता है। 30 सितम्बर 2022 तक दिए गए अनुदानों के लिए 31 मार्च 2024 को बकाया उपभोग प्रमाणपत्रों की स्थिति तालिका 4.3 में दी गई है।

तालिका 4.3: उपभोग प्रमाण पत्रों के प्रेषण में बकाया

वर्ष	प्रतीक्षित उपभोग प्रमाणपत्रों की संख्या (31 मार्च को)	धनराशि (₹ करोड़ में)
2020-21 तक	15732	6594.76
2021-22	1409	2268.32
2022-23 (सितम्बर 2022 तक)	822	3009.87
योग	17963	11872.95

स्रोत: वित्त लेखा 2023-24

तालिका 4.3 दर्शाती है कि 2001-02 से 2022-23 (सितम्बर 2022 तक) की अवधि में निर्गत अनुदानों के लिए धनराशि ₹ 11,872.95 करोड़ के कुल 17,963 यूसी 31 मार्च 2024 को लम्बित थे। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र में 4211 (₹ 5,294.49 करोड़) उपयोगिता प्रमाण पत्र केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से सम्बन्धित थे। अग्रेतर, अवधि 2001-02 से 2022-23 (30 सितम्बर 2022 तक) की अवधि के ₹ 43,129.08 करोड़ धनराशि की सहायता अनुदान के 27,102 यूसी वर्ष 2023-24 में जमा किये गये। लम्बित यूसी की वर्ष-वार स्थिति का सार तालिका 4.4 में दिया गया है।

तालिका 4.4: असमायोजित यूसी का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

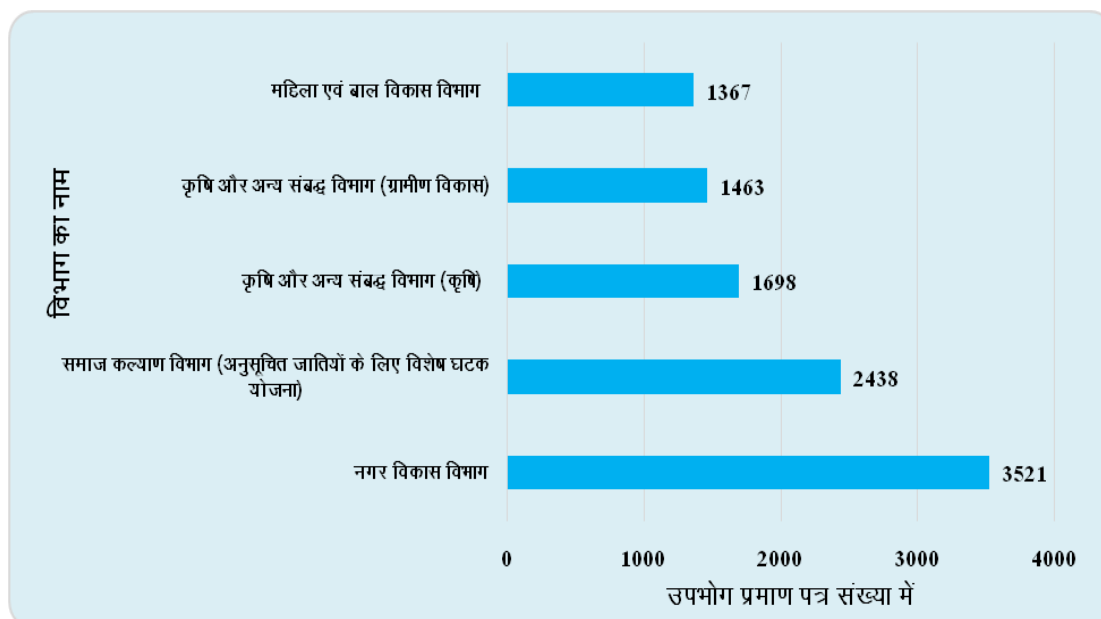
वर्ष	यूसी की संख्या	धनराशि
2001-02 से 2012-13	11299	3282.26
2013-14	670	297.80
2014-15	707	174.63
2015-16	454	363.75
2016-17	281	146.48
2017-18	202	72.67
2018-19	333	349.72
2019-20	794	392.07
2020-21	992	1515.38
2021-22	1409	2268.32
2022-23 (सितम्बर 2022 तक)	822	3009.87
योग	17963	11872.95

स्रोत: वित्त लेखा 2023-24 एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.), उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचनाएं

कुल असमायोजित यूसी में से, ₹ 9,510.20 करोड़ (80.10 प्रतिशत) धनराशि के 10,487 यूसी (58.38 प्रतिशत) पाँच विभागों; नगर विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना), कृषि और अन्य संबद्ध

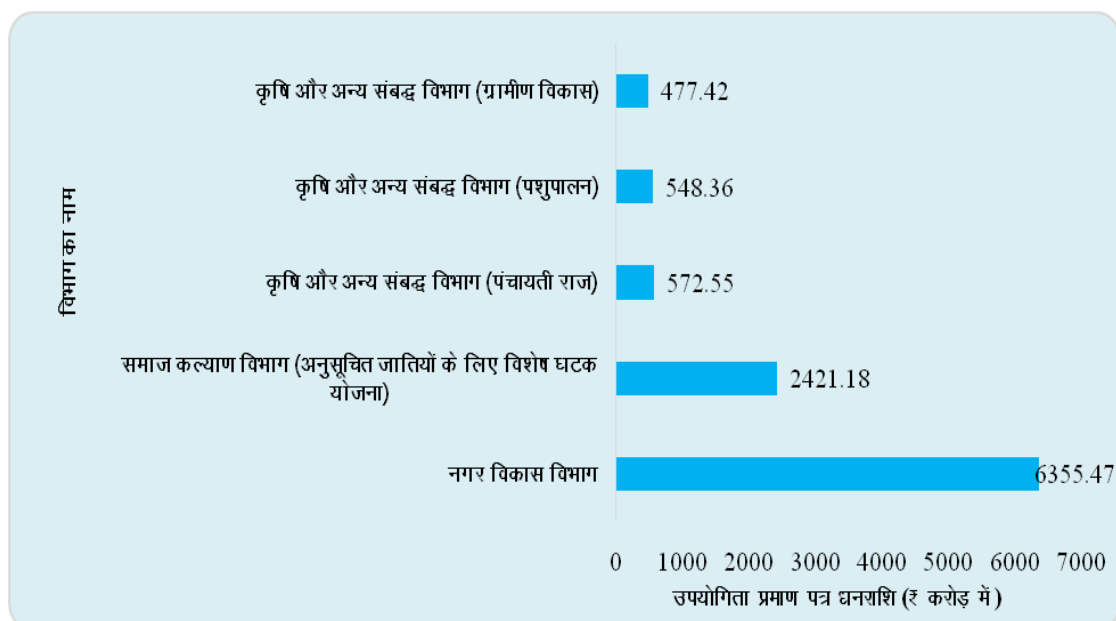
विभाग (कृषि), कृषि और अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्रामीण विकास) एवं महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित थे जैसा कि चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: विभागवार बकाया यूसी की संख्या



स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा प्रदान की गयी सूचना

चार्ट 4.2: विभागवार उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बकाया धनराशि



स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा प्रदान की गयी सूचना

यूसी के अभाव में, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान का व्यय वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त, यूसी के लम्बी अवधि तक लम्बित रहने की स्थिति में निधियों के गबन, अपयोजन एवं दुर्विनियोजन की भी सम्भावना रहती है।

4.7 संक्षिप्त आकस्मिक बिल

राज्य सरकार द्वारा व्यय की उन मदों हेतु आकस्मिक प्रभारों का आहरण 'संक्षिप्त आकस्मिक' (एसी) बिलों पर किया जाता है, जिसके लिए आहरण के समय अन्तिम वर्गीकरण और सहायक वाउचर उपलब्ध नहीं होते। वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-V) भाग-। के प्रस्तर 183 के अनुसार भुगतान के बाद प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक प्रभारों के मामले में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) बिल अगले माह के अन्त तक कार्यालयाध्यक्ष द्वारा नियन्त्रण अधिकारी को या जहाँ कोई नियन्त्रण अधिकारी नहीं है तो सीधे महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। समर्थित डीसीसी बिलों को देर से प्रस्तुत करने या लम्बे समय तक प्रस्तुत न करने से एसी बिलों के अन्तर्गत किया गया व्यय अस्पष्ट रहता है। 31 मार्च 2024 को लम्बित डीसीसी बिलों का विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

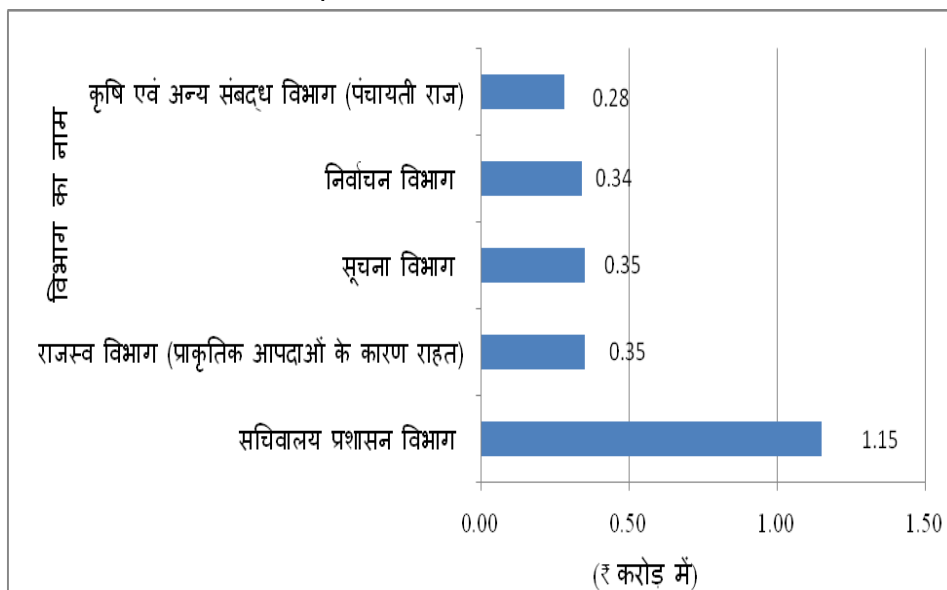
तालिका 4.5: 31 मार्च 2024 को लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की वर्षवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लंबित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2022-23 तक	510	2.95
2023-24	14	0.16
योग	524	3.11

स्रोत: वित्त लेखा 2023-24

जैसा कि तालिका 4.5 से स्पष्ट है, ₹ 2.95 करोड़ की धनराशि के 510 डीसीसी बिल वर्ष 2001-02 से 2022-23 तक की लंबी अवधि से लम्बित थे और ₹ 0.16 करोड़ की धनराशि के 14 डीसीसी बिल वर्ष 2023-24 से सम्बन्धित हैं। कुल असमायोजित एसी बिलों में से, ₹ 2.46 करोड़ (79.10 प्रतिशत) की धनराशि के 299 बिल (57.06 प्रतिशत) पाँच विभागों से सम्बन्धित हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग (₹ 1.15 करोड़ धनराशि के 58 एसी बिल), राजस्व विभाग (प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत) (₹ 0.35 करोड़ धनराशि के पाँच एसी बिल), सूचना विभाग (₹ 0.35 करोड़ धनराशि के 85 एसी बिल), निर्वाचन विभाग (₹ 0.34 करोड़ धनराशि के 33 एसी बिल) एवं कृषि और अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (₹ 0.28 करोड़ धनराशि के 118 एसी बिल) से सम्बन्धित थे जैसा कि चार्ट 4.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: बड़े बकायेदार विभागों के लम्बित डीसीसी बिल


स्रोत: महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा प्रदान की गयी सूचना

विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करने में विलम्ब इंगित करता है कि निधियाँ बिना तत्काल भुगतान की आवश्यकता के आहरित की गई थीं। अग्रेतर, निर्धारित समय के अन्दर डीसी बिलों को प्रस्तुत न करने से न केवल वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है बल्कि अपव्यय/दुर्विनियोजन/कदाचार आदि की संभावना भी बढ़ जाती है।

4.8 वैयक्तिक जमा खाता

संघ और राज्यों के लेखे के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अन्तर्गत, वैयक्तिक जमा, ब्याज रहित प्रकृति के होते हैं जो कि लेखा शीर्ष 8443—सिविल जमा—106—वैयक्तिक जमा के अन्तर्गत खोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता (यूपीपीएलए) नियमावली 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार, राज्य सरकार महालेखाकार के परामर्श से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वैयक्तिक जमा (पीडी) खाते/पीएलए खोलने के लिए अधिकृत है। नामित प्रशासक राज्य की संचित निधि से निधियों के अन्तरण द्वारा इन पीडी खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य की संचित निधि से शीर्ष 8443-106 के अन्तर्गत पीडी खातों में ₹ 2.34 करोड़ की धनराशि का अन्तरण किया गया। इसमें मार्च 2024 में पीडी खाते में अन्तरित ₹ 0.16 करोड़ भी सम्मिलित थे। 31 मार्च 2024 को पीडी लेखों का विस्तृत विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है।

तालिका 4.6: वर्ष 2023-24 के दौरान पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक अवशेष (01.04.2023 को)		वर्ष 2023-24 के दौरान एडिशन		वर्ष 2023-24 के दौरान संवितरण		अंतिम अवशेष (31.03.2024 को)	
प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि
12	9.58 (डेबिट)	शून्य	2.34	शून्य	0.21	12	7.45 (डेबिट)

स्रोत: वित्त लेखा 2023-24

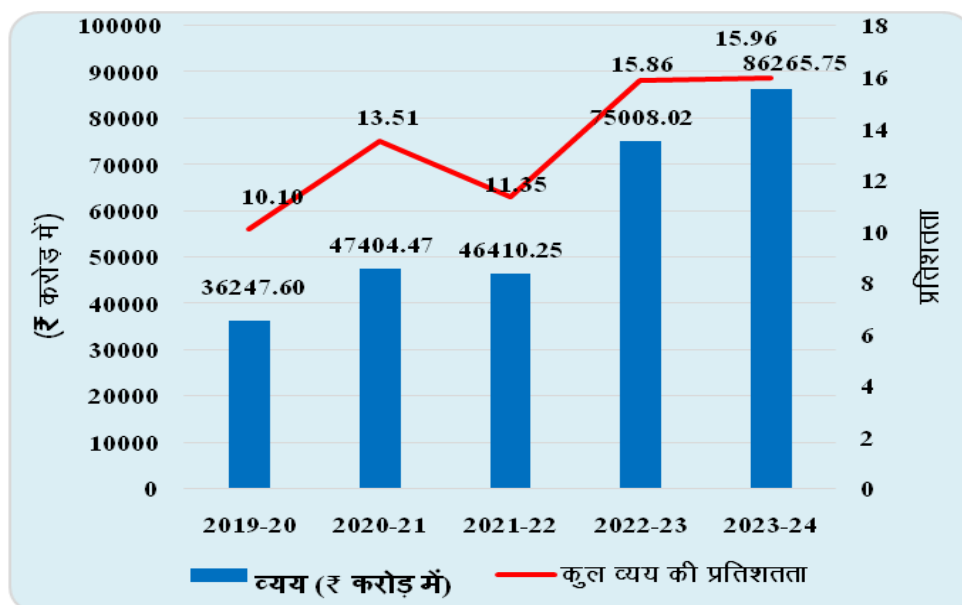
अग्रेतर, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश (मार्च 1999) प्रावधानित करता है कि व्यक्तिगत जमा लेखे के प्रशासकों को कोषागार के आँकड़ों के साथ अपनी शेष राशि का मिलान और सत्यापन करना आवश्यक है एवं महालेखाकार को वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। तथापि, वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य के पीडी लेखाओं के 12 प्रशासकों में से केवल छह प्रशासकों ने कोषागार के आँकड़ों से अपनी शेष राशि का मिलान एवं सत्यापन किया।

4.9 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण प्रयोग

बजट और लेखांकन की पारदर्शी प्रणाली के एक महत्वपूर्ण घटक लेखे के प्रारूप, जिसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय को विधानमण्डल में प्रतिवेदित किया जाता है, की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए और उसे अद्यतन किया जाना चाहिए जिससे वे वास्तव में सरकार की सभी प्रमुख गतिविधियों पर प्राप्तियों और व्यय को पारदर्शी तरीके से सभी महत्वपूर्ण हितधारकों की आधारभूत सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिबिम्बित कर सकें। इस प्रयोजन हेतु, अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष 800 का परिचालन केवल तभी किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लेखे अस्पष्ट रहते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, व्यय पक्ष में 85 मुख्य लेखा शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 86,265.75 करोड़ की धनराशि, जो कि कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय, ₹ 5,40,343.26 करोड़, का 15.96 प्रतिशत है, को लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया। 2019-24 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित व्यय का प्रचलन और कुल व्यय से इसका प्रतिशत चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: 2019-24 की अवधि के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का परिचालन



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

ऐसे उदाहरण जहाँ व्यय के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, तालिका 4.7 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.7: वर्ष 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2533.35	2533.35	100
5053	नागरिक उड्डयन पर पूंजीगत परिव्यय	1650.27	1650.27	100
4875	अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	1334.13	1334.13	100
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	900.48	900.48	100
2885	उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	176.69	176.69	100
2705	कमान क्षेत्र विकास	87.10	87.10	100
5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	24.86	24.86	100
2407	वृक्षारोपण	4.88	4.88	100
2043	राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण शुल्क	2.40	2.40	100
4859	दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	2.00	2.00	100
2041	वाहनों पर कर	1.91	1.91	100
2852	उद्योग	8175.61	8520.00	96
2801	ऊर्जा	30637.34	32925.34	93
3053	नागरिक उड्डयन	27.72	30.74	90
3452	पर्यटन	165.43	203.52	81

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशतता
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4418.92	5737.80	77
4235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	451.53	605.43	75
4575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	781.89	1055.54	74
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2043.98	3023.59	68
2216	आवास	354.51	525.12	68
2211	परिवार कल्याण	5433.88	8793.33	62
2700	वृहद सिंचाई	542.41	885.38	61
4217	शहरी विकास का पूंजी खाता	2561.37	4463.97	57
2205	कला और संस्कृति	113.40	203.02	56
4403	पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	130.00	242.12	54

स्रोत: वित्त लेखा 2023-24

अग्रेतर, जांच में पाया गया कि विगत चार वर्षों 2020-21 से 2023-24 के दौरान दो अनुदानों, अर्थात् अनुदान संख्या 53-राष्ट्रीय एकीकरण विभाग और अनुदान संख्या 85-लोक उद्यम विभाग में, सम्पूर्ण व्यय को लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत पुस्तांकित किया गया था।

इसी प्रकार, वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राप्ति पक्ष के 57 राजस्व मुख्य लेखाशीर्षों में लघुशीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अन्तर्गत कुल ₹ 8,467.49 करोड़, जो कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ, ₹ 4,65,801.15 करोड़, का 1.82 प्रतिशत है, को पुस्तांकित किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसे उदाहरण जहाँ राजस्व प्राप्तियों के बहुत महत्वपूर्ण भाग (मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों का 50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, तालिका 4.8 में सूचीबद्ध हैं।

तालिका 4.8: वर्ष 2023-24 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत पुस्तांकित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
1054	सड़कें और पुल	646.35	578.19	112 ¹⁹
0801	ऊर्जा	1881.70	1881.70	100
0215	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	217.64	217.64	100
0217	शहरी विकास	177.22	177.22	100
0852	उद्योग	28.18	28.18	100

¹⁹ मुख्य शीर्ष 1054 में कुल प्राप्तियों में लघु शीर्ष 900-कटौती रिफंड के अंतर्गत (–) ₹ 81.01 करोड़ की रिफंड, लघु शीर्ष 102-सड़कों पर टोल के अंतर्गत ₹ 12.85 करोड़ की प्राप्ति तथा लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत ₹ 646.35 करोड़ की प्राप्ति शामिल थी।

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशतता
0875	अन्य उद्योग	3.66	3.66	100
0810	ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत	2.21	2.21	100
1456	नागरिक आपूर्ति	1.93	1.93	100
0575	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.55	1.55	100
0425	सहकारिता	85.72	85.74	100
1053	नागरिक उड्डयन	12.68	12.69	100
0211	परिवार कल्याण	18.00	18.01	100
0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	184.24	184.56	100
0056	जेल	7.91	8.01	99
0851	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	158.88	161.67	98
0059	लोक निर्माण	117.94	120.76	98
1452	पर्यटन	7.84	8.16	96
0700	वृहद सिंचाई	21.24	25.04	85
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	886.90	1067.98	83
0029	भू-राजस्व	321.88	404.74	80
0230	श्रम एवं रोजगार	47.30	64.05	74
0403	पशुपालन	21.88	33.39	66
0406	वानिकी और वन्य जीवन	212.98	356.67	60
0515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	77.50	136.92	57
0071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली	223.58	426.38	52

स्रोत: वित्त लेखा 2023-24

बहुप्रयोजनीय लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत अत्यधिक धनराशि का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन प्राथमिकताओं एवं व्यय की गुणवत्ता के समुचित विश्लेषण को विकृत करता है।

4.10 बहुप्रयोजनीय मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय

राज्य सरकार के बजट में अधिक पारदर्शिता लाने तथा नियोजन एवं क्रियान्वयन में पर्याप्त विश्वसनीयता एवं नियन्त्रण को प्रभावी बनाने की दृष्टि से बहुप्रयोजनीय मानक मद '42-अन्य व्यय' के बजाय उपयुक्त शीर्षों के अन्तर्गत बजट प्रावधान की आवश्यकता है। जैसा कि बजट दस्तावेजों में परिभाषित है 'अन्य व्यय' अवशिष्ट मदों से सम्बन्धित है और इसमें पारिश्रमिक तथा पुरस्कार सम्बन्धी व्यय एवं विवेकाधीन निधियों से व्यय शामिल हैं।

लेखों की जाँच में पाया गया कि मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत ₹ 34,110.76 करोड़ का व्यय किया गया, जो 2023-24 के दौरान राज्य की संचित निधि से कुल संवितरण ₹ 5,69,746.85 करोड़ का 5.99 प्रतिशत था। अग्रेतर, यह देखा गया कि 26 अनुदानों में, मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय इन अनुदानों के कुल व्यय के पाँच प्रतिशत से अधिक था और इसका इन अनुदानों के कुल व्यय में 26.08 प्रतिशत का अंश था जैसा कि तालिका 4.9 में दिया गया है।

तालिका 4.9: विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत व्यय
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान सं.	अनुदान का विवरण	कुल व्यय	मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय के सापेक्ष मानक मद 42 के अन्तर्गत व्यय का प्रतिशत
1	53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	0.44	0.36	81.66
2	35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	8205.73	5953.67	72.56
3	78	सचिवालय प्रशासन विभाग	1721.40	1010.87	58.72
4	13	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (ग्रामीण विकास)	19037.89	10298.89	54.10
5	91	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प पंजीकरण)	463.86	242.48	52.27
6	3	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	932.96	472.77	50.67
7	28	गृह विभाग (राजनीतिक पेंशन एवं अन्य व्यय)	287.51	135.80	47.23
8	45	पर्यावरण विभाग	13.28	5.93	43.23
9	69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	1880.65	731.66	38.90
10	92	सांस्कृतिक विभाग	309.35	115.27	37.26
11	76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	544.87	191.94	35.23
12	7	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	12982.45	4245.38	31.93
13	52	राजस्व विभाग (राजस्व एवं अन्य व्यय बोर्ड)	3031.09	944.96	24.04
14	81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	1397.44	270.06	19.33
15	33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी)	1093.51	196.65	17.98
16	66	वित्त विभाग (समूह बीमा)	259.28	35.00	13.50
17	37	शहरी विकास विभाग	23184.06	2851.45	12.30
18	22	खेल विभाग	570.34	63.49	11.13
19	83	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)	25771.34	2464.35	9.56
20	29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	21.04	1.96	9.31
21	34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी)	559.30	50.07	8.95
22	17	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (मत्स्यपालन)	166.85	146.40	8.77
23	32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	8279.45	706.60	8.53
24	11	कृषि एवं अन्य संबद्ध विभाग (कृषि)	5333.95	345.78	6.48
25	89	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्यिक कर)	934.34	59.40	6.36
26	21	खाद्य एवं रसद विभाग	5163.54	319.47	6.19
योग (पांच प्रतिशत से ऊपर)			122145.92	31860.66	26.08

स्रोत: महालेखाकार (ले० एवं ह०) उ०प्र० द्वारा अनुरक्षित सूचना

मानक मद '42-अन्य व्यय' के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करता है।

माप से सम्बन्धित मुद्दे

4.11 प्रमुख उच्च एवं प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत बकाया अवशेष

वित्त लेखे उच्च और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत निवल शेष को दर्शाते हैं। इन शीर्षों के अन्तर्गत बाकी शेष की गणना विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अलग-अलग डेबिट और क्रेडिट शेष को समेकित करके की जाती है। उच्च और प्रेषण मदों का समाशोधन राज्य कोषागारों/निर्माण खण्डों, वन प्रभागों, आदि द्वारा प्रेषित विवरणों पर निर्भर करता है। कुछ मुख्य उच्च लेखा शीर्षों के अन्तर्गत बाकी शेष को तालिका 4.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: उच्च और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत अवशेष

(₹ करोड़ में)

उचन्त शीर्ष	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
मुख्य शीर्ष 8658—उचन्त						
101—पीएओ उचन्त	418.07	739.80	395.41	269.72	257.52	208.31
निवल	क्रेडिट 321.73		डेबिट 125.69		डेबिट 49.21	
102 — उचन्त लेखा— सिविल	15820.92	16389.57	15764.39	16431.30	15780.89	16432.73
निवल	क्रेडिट 568.65		क्रेडिट 666.91		क्रेडिट 651.84	
109 — रिजर्व बैंक उचन्त—मुख्यालय	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
निवल	0.00		क्रेडिट 0.01		0.00	
110 — रिजर्व बैंक उचन्त—केन्द्रीय लेखा कार्यालय	(-)94.54	(-)1138.62	(-)94.12	(-)1136.38	(-)94.92	(-)1136.44
निवल	डेबिट 1044.08		डेबिट 1042.26		डेबिट 1041.52	
मुख्य शीर्ष 8782—नकद प्रेषण एवं उसी लेखाधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य समायोजन						
102 — लोक निर्माण प्रेषण	216990.54	218840.01	232556.35	235417.30	256276.42	258390.05
निवल	क्रेडिट 1849.47		क्रेडिट 2860.95		क्रेडिट 2113.63	
103 — वन प्रेषण	3391.12	3594.69	3701.73	3939.71	4205.85	4483.51
निवल	क्रेडिट 203.57		क्रेडिट 237.98		क्रेडिट 277.66	
8793—अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	66.72	0.05	56.76	0.01	56.34	0.11
निवल	डेबिट 66.67		डेबिट 56.75		डेबिट 56.23	

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा अनुरक्षित सूचना

4.12 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, संघ एवं राज्यों के लेखों के प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक चार भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 के दौरान इन लेखांकन मानकों के अनुपालन और साथ ही उनकी कमियों का विवरण तालिका 4.11 में दिया गया है:

तालिका 4.11: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र0 स0	लेखांकन मानक	आई जी ए एस का सार	राज्य सरकार द्वारा किया गया अनुपालन	कमी
1	आई.जी.ए. एस-1	सरकार द्वारा दी गयी गारंटी — प्रकटीकरण की आवश्यकताएँ	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 9 एवं 20)	शासन द्वारा दी गयी गारंटी के लिए नामित प्राधिकारी से सम्बन्धित जानकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी।
2	आई.जी.ए एस-2	सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 10)	राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दी गयी अनुदान सहायता के कुल मूल्य के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की गयी।
3	आई.जी.ए एस-3	सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखे के विवरण 7 एवं 18)	राज्य सरकार द्वारा शाश्वत ऋण के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी।
4	आई.जी.ए एस-4	पूर्व अवधि समायोजन	राज्य सरकार द्वारा पूर्व अवधि समायोजन के संबंध में सूचना महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ.प्र. को उपलब्ध नहीं करायी गयी।	

स्रोत: वित्त लेखा एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) उ.प्र. द्वारा प्रदान की गयी सूचना

4.13 ऋण और अग्रिम के प्रतिकूल अवशेष

प्रतिकूल अवशेष (डेबिट शीर्षों में क्रेडिट शेष और क्रेडिट शीर्षों में डेबिट शेष) उन लेखाशीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये ऋणात्मक अवशेष हैं, जहाँ ऋणात्मक अवशेष नहीं होने चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी भी ऋण या अग्रिम के लेखाशीर्ष के सापेक्ष, ऋणात्मक अवशेष मूल अग्रिम धनराशि से अधिक पुनर्भुगतान का संकेत देगा।

31 मार्च 2024 को वर्ष 2023-24 के वित्त लेखे में ऋण और अग्रिमों के निम्नलिखित प्रतिकूल अवशेष सम्मिलित थे जो तालिका 4.12 में दिए गए हैं।

तालिका 4.12: 31.03.2024 तक प्रतिकूल अवशेष

लेखा शीर्ष	विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)
6215-02-192-04	नगरीय निकायों की अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं विकास हेतु ब्याज मुक्त ऋण हेतु परिक्रामी निधि की व्यवस्था	0.26
6235-02-190-01	यू.पी. बैंकवर्ड फाइनेंस एवं डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को वितरित ऋण की वापसी	0.18
6425-00-108-03	यू.पी. सहकारी बैंक को ऋण	0.02
6860-01-190-04	उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड को ऋण	123.78
6860-01-190-05	उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड को ऋण	75.74
6860-04-190-02	चीनी कारखानों को ऋण	1108.52
6885-01-190-06	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003	49.19
6885-01-190-10	उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को ऋण	26.09
7055-00-190-10	अन्य प्राप्तियां	9.95
7610-00-202	मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	17.72
7610-00-203	अन्य वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम	25.39
7610-00-800	अन्य अग्रिम	3.02

स्रोत: वित्त लेखा 2023-24

ये प्रतिकूल अवशेष कार्यालय महालेखाकार (ले.एवं हक.) उत्तर प्रदेश एवं राज्य सरकार के मध्य समाधान की प्रक्रिया में थे।

4.14 विभागीय आँकड़ों का मिलान न किया जाना

उत्तर प्रदेश बजट नियमावली के प्रस्तर 124 के अनुसार, राजस्व/व्यय पर प्रभावी बजटीय नियन्त्रण को लागू करने और लेखे में परिशुद्धता सुनिश्चित करने हेतु, मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (सीसीओ)/नियन्त्रण अधिकारियों (सीओ) द्वारा प्रत्येक माह उनकी बहियों में दर्ज प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा लेखे में लिए गए आँकड़ों के साथ वांछनीय है। नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा आँकड़ों के मिलान की स्थिति तालिका 4.13 में नीचे दी गयी है।

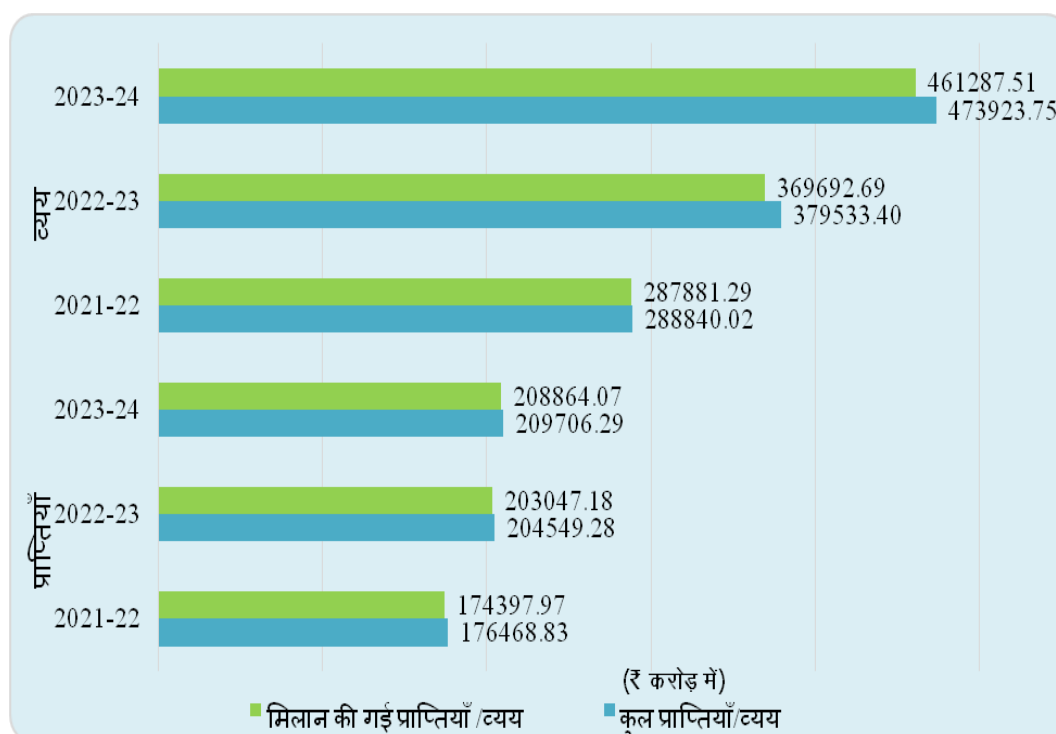
तालिका 4.13: नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति

वर्ष	नियन्त्रण अधिकारियों की कुल संख्या	प्राप्तियों/व्यय का मिलान करने वाले नियन्त्रण अधिकारियों की संख्या		
		पूर्ण मिलान किया गया	आंशिक मिलान किया गया	मिलान नहीं किया गया
प्राप्तियां				
2021-22	48	43	--	05
2022-23	48	43	--	05
2023-24	48	47	--	01
व्यय				
2021-22	180	177	--	03
2022-23	180	179	--	01
2023-24	180	178	--	02

स्रोत: महालेखाकार (ले0 एवं हक0) उ0प्र0 द्वारा अनुरक्षित सूचना

वर्ष 2023-24 में 48 सीसीओ में से 47 द्वारा प्राप्तियों का मिलान पूर्ण किया गया, उनके द्वारा ₹ 2,08,864.07 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 2,09,706.29 करोड़ की कुल प्राप्तियों का 99.60 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियों का मिलान किया। अग्रेतर, 180 सीसीओ में से, 178 सीसीओ ने ₹ 4,61,287.51 करोड़ (मिलान हेतु नियत ₹ 4,73,923.75 करोड़ के कुल व्यय का 97.33 प्रतिशत) के अपने व्यय के आँकड़ों का मिलान किया था, जैसा कि चार्ट 4.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.5: वर्ष 2021-24 के दौरान प्राप्तियों और व्यय के मिलान की स्थिति



स्रोत: महालेखाकार (ले0 एवं हक0), उ0प्र0 द्वारा अनुरक्षित सूचना

सभी प्राप्तियों और व्यय के सम्बन्ध में मिलान के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाना वांछनीय है।

प्रकटीकरण से सम्बन्धित मुद्दे

4.15 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुत किया जाना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 19 (3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक लोकहित में, यथास्थिति, राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की विधायिका द्वारा बनाई गई विधि के अधीन स्थापित किसी निगम के लेखे की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी से अनुरोध कर सकेगा और जब ऐसा अनुरोध किया गया हो, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ऐसे निगम के लेखे की लेखापरीक्षा करेगा और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये उसे निगम के बहियों एवं लेखाओं के अवलोकन का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहाँ किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे की लेखापरीक्षा सीएजी को किसी विधि द्वारा या उसके अधीन नहीं सौंपी गई है, वहाँ यदि, राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के जिसमें विधान सभा है, के प्रशासक द्वारा (सम्बन्धित निकाय के सम्बन्ध में जो लागू हो) ऐसा करने का अनुरोध किया गया तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे नियमों और शर्तों पर करेगा जिस पर उसके और सम्बन्धित सरकार के बीच सहमति स्थापित हो और ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिये, उस निकाय या प्राधिकरण की बहियों और लेखाओं के अवलोकन का अधिकार होगा (सीएजी के डीपीसी अधिनियम की धारा 20)।

उपर्युक्त स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के प्रकरण में, यदि सीएजी एकल लेखापरीक्षक है, तो लेखे के सत्य एवं निष्पक्ष होने का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। अतः इन निकायों और प्राधिकरणों द्वारा वार्षिक लेखे तैयार कर इसे लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को प्रस्तुत करना वांछनीय है। लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अलावा, वित्तीय लेखापरीक्षा सम्पन्न होने पर लेखापरीक्षा कार्यालय एक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत करता है, जो कि लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र का भाग होता है।

यह देखा गया कि 56 स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के 388 वार्षिक लेखे (वर्ष 2023-24 तक के) सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा 31 जुलाई 2024 तक लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के अप्रस्तुत लेखाओं का विभागवार विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है। इन 388 लेखाओं की अवधिवार लम्बित स्थिति **तालिका 4.14** में दी गई है।

तालिका 4.14: लेखापरीक्षा हेतु प्रतीक्षित परन्तु प्रस्तुत नहीं किये गये वार्षिक लेखाओं का आयुवार विश्लेषण

विलम्ब की अवधि (वर्षों में)	निकायों/प्राधिकरणों की संख्या	लेखाओं की संख्या
1-2	8	13
3-4	13	49
5-10	29	197
10 से अधिक	6	129
योग	56	388

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) I एवं महालेखाकार (लेखापरीक्षा) II कार्यालय में उपलब्ध सूचना
वार्षिक लेखे और उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन निकायों/प्राधिकरणों को संवितरित सहायता अनुदानों और ऋणों के समुचित उपभोग और उनके लेखांकन को संप्रमाणित नहीं किया जा सकता है। लेखापरीक्षा ने बकायेदार निकायों के लेखाओं को प्रस्तुत न करने का मुद्दा सम्बन्धित प्राधिकारियों के समक्ष समय-समय पर उठाया, लेकिन कोई सुधार परिलक्षित नहीं हुआ।

4.16 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के प्रोफार्मा लेखे

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों (डीसीयू) द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रोफार्मा वार्षिक लेखे को अन्तिम रूप दिया जाना एवं लेखाबन्दी के पश्चात लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना वांछनीय है। राज्य के नौ डीसीयू में से केवल चार डीसीयू (सिंचाई कार्यशाला खण्ड, कानपुर, बरेली, मेरठ एवं प्रयागराज) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का वार्षिक लेखा अन्तिमीकृत किया है एवं दो डीसीयू (सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी एवं गोरखपुर) ने वित्तीय वर्ष 2022-23 तक के वार्षिक लेखे अन्तिमीकृत किये हैं। एक डीसीयू सीएओ एवं खाद्य आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2021-22 तक का वार्षिक लेखा अन्तिमीकृत किया है एवं एक अन्य डीसीयू (उप निदेशक पशुपालन फार्म निगम) ने वर्ष 2020-21 के लिए अपना लेखा अन्तिमीकृत किया। शेष एक डीसीयू द्वारा कई वर्षों से अपने वार्षिक लेखे का अन्तिमीकरण नहीं किया गया है। विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया।

4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित मामले

वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-V भाग-I के प्रस्तर 82 में व्यक्तियों की धोखाधड़ी या लापरवाही से होने वाली हानि, सरकारी सम्पत्ति की हानि या विनाश के लिये जिम्मेदारी तय करने और उसे महालेखाकार को सूचित करने के बारे में विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सरकार ने ₹ 9.31 करोड़ की शासकीय सामग्री/धनराशि के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी आदि के 135 प्रकरण²⁰ सूचित किये, जिन पर 31 मार्च, 2024 तक अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार ब्यौरा एवं अन्तिम निस्तारण में विलम्ब के कारणों का विवरण **तालिका 4.15** में दिया गया है।

²⁰ जनवरी 1967 से मार्च 2024 की अवधि से संबन्धित

तालिका 4.15: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरण

(₹ लाख में)

विभाग का नाम	शासकीय सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों के अन्तिम निस्तारण में विलम्ब के कारण					
			विभागीय और आपराधिक जाँच प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया		आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया परन्तु धनराशि की वसूली लम्बित	
	प्रकरणों की सं०	धनराशि	प्रकरणों की सं०	धनराशि	प्रकरणों की सं०	धनराशि	प्रकरणों की सं०	धनराशि
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	9	28.78	0	0	7	26.83	2	1.95
समाज कल्याण	3	0.95	0	0	2	0.70	1	0.25
उद्यान	1	3.59	0	0	1	3.59	0	0
ग्रामीण विकास	9	3.28	1	0.74	7	2.34	1	0.20
शिक्षा	8	171.16	2	101.08	4	55.55	2	14.53
प्राविधिक शिक्षा	1	11.59	0	0	0	0	1	11.59
पशुपालन	16	6.55	7	5.20	9	1.35	0	0
मत्स्य उद्योग	3	2.61	0	0	3	2.61	0	0
कृषि	3	7.62	2	2.17	1	5.45	0	0
सिंचाई	41	121.03	4	16.07	35	36.95	2	68.01
सहकारिता	2	1.45	0	0	1	0.17	1	1.28
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11	15.89	1	0.30	9	14.22	1	1.37
गृह (पुलिस, पी ए सी)	8	56.09	7	8.61	0	0	1	47.48
राजस्व	5	14.49	3	8.81	2	5.68	0	0
वित्त	1	0.67	1	0.67	0	0	0	0
बाट एवं माप	1	1.09	0	0	0	0	1	1.09
लोक निर्माण विभाग	9	147.80	4	27.26	1	0.12	4	120.42
राजस्व (भूमि अधिग्रहण)	3	331.78	0	0	3	331.78	0	0
न्याय	1	4.44	0	0	1	4.44	0	0
योग	135	930.86	32	170.91	86	491.78	17	268.17

स्रोत: सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनाएं

इन लम्बित प्रकरणों का आयुवार विश्लेषण तालिका 4.16 में दर्शाया गया है, जो इंगित करता है कि 31 मार्च 2024 को ₹ 4.88 करोड़ से सम्बन्धित 101 प्रकरण 20 वर्षों से अधिक समय से लम्बित थे।

तालिका 4.16: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के लम्बित प्रकरणों का आयुवार विश्लेषण

(₹ लाख में)

वर्ष परास	प्रकरणों की संख्या	सम्बद्ध धनराशि
0 – 5 वर्ष (2019-20 से 2023-24)	0	0.00
5 – 10 वर्ष (2014-15 से 2018-19)	0	0.00
10 – 15 वर्ष (2009-10 से 2013-14)	16	233.04
15 – 20 वर्ष (2004-05 से 2008-09)	18	209.46
20 – 25 वर्ष (1990-00 से 2003-04)	11	28.27
25 वर्षों से अधिक (1998-99 एवं पूर्व)	90	460.09
योग	135	930.86

स्रोत: सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनाएं

कुल 135 लम्बित प्रकरणों (31 मार्च 2024 को) जिसमें ₹ 930.86 लाख की धनराशि अन्तर्निहित थी, में से 32 प्रकरणों में जिसमें, ₹ 170.91 लाख धनराशि अन्तर्निहित थी, की विभागीय और आपराधिक जाँच प्रारम्भ नहीं की गई। 86 प्रकरणों (₹ 491.78 लाख से सम्बन्धित) में विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई जिन्हें अंतिम रूप नहीं दिया गया। 17 प्रकरणों (₹ 268.17 लाख से सम्बन्धित) में आपराधिक कार्यवाही को अन्तिम रूप दिया गया, लेकिन धनराशि की वसूली लम्बित थी।

4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

वर्ष 2008-09 से राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार कर राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा रहा है। लोक लेखा समिति द्वारा अभी भी इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करना शेष है।

4.19 निष्कर्ष

- राज्य सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाले पीएसई/प्राधिकारियों के माध्यम से राज्य के ऋण मानकों पर प्रभाव वाले व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट ऋण का सहारा लिया। चूँकि ये अतिरिक्त बजट ऋण राज्य के ऋण-स्टाक का हिस्सा नहीं हैं, वित्त लेखों में दर्शायी गयी ऋण स्थिति वास्तविक ऋण स्थिति को नहीं दर्शाती है।
- राज्य सरकार ने परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों और नियोक्ताओं के अंशदान की सम्पूर्ण राशि नामित निधि प्रबन्धक को इसके अग्रेतर निवेश के लिए प्रेषित नहीं की।

- राज्य सरकार ने सार्वजनिक वाहन की दुर्घटना से प्रभावित यात्रियों या यात्री की मृत्यु की दशा में उनके उत्तराधिकारियों या हताहत हुए अन्य व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1997 के अन्तर्गत वांछनीय उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि की स्थापना नहीं की।
- वर्ष 2023-24 की समाप्ति पर बड़ी संख्या (17,963) में ₹ 11,872.95 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अभाव में, इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि संवितरित सहायता अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए व्यय किया गया है जिसके लिए उन्हें विधानमण्डल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था।
- 'लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्तियाँ/व्यय' के अन्तर्गत बड़ी धनराशि के वर्गीकरण के कारण वित्तीय अभिलेखों में प्राप्तियों/व्यय का पूर्ण चित्रण नहीं हो पाता। इसी प्रकार, 26 अनुदानों के सम्बन्ध में, मानक शीर्ष '42 अन्य व्यय' के अन्तर्गत कुल व्यय के पाँच प्रतिशत व्यय का वर्गीकरण किया गया, जो वित्तीय अभिलेखों में पारदर्शिता को प्रभावित करता है।
- 31 जुलाई 2024 तक 56 स्वायत्त निकायों/प्राधिकारियों के 388 वार्षिक लेखे (वर्ष 2023-24 तक लम्बित) लेखापरीक्षा के लिए सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए। वार्षिक लेखों और उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में, इन स्वायत्त निकायों/प्राधिकारियों को दिए गए अनुदानों और ऋणों के उचित उपयोग की पुष्टि नहीं की जा सकती है।

4.20 संस्तुतियाँ

- राज्य सरकार को राज्य बजट में एस.पी.एस.ई./प्राधिकरणों द्वारा लिए जाने वाले अतिरिक्त बजट ऋणों को प्रदर्शित करना चाहिए।
- राज्य सरकार को परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की सम्पूर्ण धनराशि राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित निधि प्रबन्धक को हस्तांतरित करना चाहिये जिससे गैर-हस्तान्तरित धनराशि अभिदाताओं के निवेश के कोष का भाग बन सके और उसमें मूल्य वृद्धि हो।
- सांविधिक आवश्यकता होने के कारण, सरकार को 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' की स्थापना करनी चाहिए जिससे प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए निधि का उपयोग किया जा सके।
- सरकार को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्गत अनुदानों के सम्बन्ध में विभागों द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित करना सुनिश्चित कराना चाहिए एवं सभी अनुदान प्राप्तकर्ता, जिनके उपभोग प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त हुए हैं, को नया

अनुदान निर्गत करने से पूर्व दिए गए सभी अनुदानों की समीक्षा की जानी चाहिए।

15. वित्त विभाग को महालेखाकार (ले. एवं हक.) के परामर्श से, वर्तमान में लघुशीर्ष 800 के अन्तर्गत प्रदर्शित होने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए। अग्रेतर, मानक मद के स्तर पर मानक मद 42-अन्य व्यय का अविवेकपूर्ण प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।
16. वित्त विभाग को निकायों/प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति का आंकलन करने के लिए उनके द्वारा वार्षिक लेखे के संकलन और प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने हेतु नियमित समीक्षा को समाहित करती एक प्रणाली विकसित करने पर विचार करना चाहिए।

लखनऊ

दिनांक 25 अप्रैल 2025

संजय कुमार

(संजय कुमार)

महालेखाकार

(लेखापरीक्षा-द्वितीय), उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक 30 APR 2025

संजय

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक